FORM No. III

App. A
Crim - I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

भारमला रैगर .... बनाम .... राज. सरकार

किस्म मुकदमा 136 L.R. Act नं. 98 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/21	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 16/3/21 को पेश हो। [signature]	
16/3/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब/आदेश दिनांक 19/3/21 को पेश हो। [signature]	
19/3/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। राज्य पक्ष की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधि[illegible] को दी गई। [illegible] निवेदन पाईल प्रार्थी [illegible] करने पर प्रार्थी अधिवक्ता एवं राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री महीपालसिंह आर ए एस)

प्रकरण संख्या 98/2021 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

श्री नारायण पिता मांगु जाति रेगर निवासी – रूपाहेलीखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी ....अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक 19.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 3 रकबा 05 बिस्वा , आराजी संख्या 4 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा प्रार्थी ने दिनांक 19–1–2011 को डालचन्द श्रीकिशन पिता बालु गोकली बेवा बालु चमार से सम्पूर्ण रकबा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है व उक्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2053–2056 मे श्रवण पिता गोकल के वारिसान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से डालचन्द , श्रीकिशन पिता बालू से खरीद की थी इसलिये डालचन्द , श्रीकिशन पिता बालू , डालु , श्रीकिशन पिता बालु का नाम दो बार अंकित हो गया था जो प्रार्थी ने सम्पूर्ण रकबा [illegible] सम्पूर्ण रकबे का कराया था व कब्जा भी प्रार्थी का चला आ रहा है । व उ[illegible] रकबे मे प्रार्थी के नाम शुद्वी किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.[illegible]1 को विपक्षी संख्या 1 राज्य पक्ष की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाकर शामिल पत्रावली किये गये । वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे बहस करना चाहने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:16 IST
Reason: SelfAttested

बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं/तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया आराजी संख्या 3 रकबा 05 बिस्वा , आराजी संख्या 4 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा प्रार्थी ने दिनांक 19–1–2011 को डालचन्द श्रीकिशन पिता बालु गोकली बेवा बालु चमार से सम्पूर्ण रकबा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है लेकिन राजस्व कर्मचारी ने पुनः खातेदार के नाम लिख दिये है जिसको शुद्वीकरण किया जावें । पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजात की अध्ययन व मनन किया । प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर ग्राम चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी संख्या 3 रकबा 05 बिस्वा , आराजी संख्या 4 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा डालू , श्रीकिशन पिता बालू बैरवा का विलोपित कर सम्पूर्ण रकबे पर प्रार्थी का नाम अंकन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है ।

आदेश की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

यह आदेश आज दिनांक **19.1.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:16 IST
Reason: SelfAttested